

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा

दिनांक 5.12.2020

प्रकरण क्रमांक 0009/अ-82/2019-20

// लोक सूचना - जारी दिनांक 5.12.2020 //

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" के तहत धारा-21 (1) के तहत

प्रस्तावक विभाग :- उपमुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला

राज्य शासन को नीचे दी गयी अनुसूची में दर्शित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन (खण्डवा अकोला के मध्य गेज कन्वर्जन) हेतु आवश्यकता हैं एवं राज्य शासन का ईरादा उक्त भूमि का कब्जा लिये जाने का है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 21(1) के तहत सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नीचे दर्शाई गयी जमीन पर आपको किस तरह का हक्क है। सार्वजनिक कार्य के लिये हासिल की जाने वाली जमीन का मुआवजा पाने के लिये अपने हक्क के तफसील दे और जमीन के पेमाईश के बारे में अगर आपको कोई आपत्ति हो तो पेश करे। अपनी लिखित आपत्ति स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा के न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 5.1.2021 तक प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत दिनांक बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	:	खण्डवा
(ख) तहसील	:	खण्डवा
(ग) ग्राम	:	मोरदड़
(घ) अर्जित रकबा	:	4.011 हेक्टेयर

अनुविभागीय अधिकारी
(यजस्त्र) खण्डवा (म.प्र.)

निरंतर 2

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा
358 / 1 / 1	0.330	656 / 5	0.0025
358 / 1 / 2	0.070	654	0.080
359 / 1	0.480	650	0.009
360 / 1	0.140	649	0.033
467	0.729	866 / 1	0.024
466	0.249	866 / 2	0.200
669	0.100	868	0.098
668	0.093	869	0.145
667 / 1	0.060	872	0.490
667 / 2	0.005	474	0.490
659	0.005	480	0.113
658 / 1	0.090	477	0.070
658 / 2	0.080	481	0.004
661	0.007	656 / 1	0.010
656 / 2	0.0025	656 / 3	0.0025
654 / 4	0.0025		
कुल खसरा नं०	31	कुल रकबा-	4.011 हेक्टे

पृ०क०/री-1/2020/3567
प्रतिलिपि :-

खण्डवा, दिनांक- 5.12.2020

- 1- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर भेजकर लेख है कि जिले की वेबसाईड पर अपलोड कराने का कष्ट करे।
- 2- तहसीलदार तहसील खण्डवा की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक-एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के आठ दिवस में वापस भिजवाने की व्यवस्था करे।

- 1- तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड,
- 2- ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड,
- 3- ग्राम मोरदड़ की चौपाल पर।

अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा
वास्तु कलेक्टर जिला खण्डवा